

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/ /2022:: लखनऊ::दिनांक अगस्त 17,2022

--आदेश--

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-5, वाराणसी के पत्रांक-346/2022 दिनांक 04.08.2022 पर सम्यक विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-6 वाराणसी से पीठ-5, वाराणसी को नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

क्रम संख्या	अपील संख्या	फर्म का नाम व पता	क0नि0
1.	दू0 01/21	सर्वश्री रेंदा ब्रिक कम्पनी, लौदा, चन्दौली।	14-15
2.	दू0 02/21	" " ----- उक्त-----	14-15
3.	दू0 08/21	सर्वश्री सद्गुरु इण्टर प्राइजेज, ककरही सैयदराजा, चन्दौली	14-15
4.	दू0 37/21	सर्वश्री पूजा इण्टर प्राइजेज, सैयदराजा, चन्दौली।	16-17
5.	दू0 42/21	सर्वश्री निशू ट्रेडिंग कम्पनी, कल्याणपुर, सैयदराजा, चन्दौली।	11-12
6.	दू0 43/21	" " ----- उक्त-----	12-13

ह0 / 17.08.2022

(अरविन्द मलिक)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/ 1202 /2022, दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-5, वाराणसी।
2-सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-6, वाराणसी।
3-असि0 कमि0/रा0प्रति0 पीठ-5 व 6, वाराणसी को सूचनार्थ प्रेषित।
4-आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।
5-वेब अधिकारी मुख्यालय।

आज्ञा से,

निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।